प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2022

विषय:- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत पुत्र श्री कारे सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत पुत्र श्री कारे सिंह, ग्राम बाघई कटैलिया, थाना-नौहझील, जनपद-मथुरा का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 11.07.2007 को कुमारी उर्फ गुड्डी की नृशस हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-548/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-6, मथुरा के आदेश दिनांक 30.10.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। बन्दी द्वारा दिनांक 16.03.2022 तक 14 वर्ष 08 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 08 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 30.09.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।**

बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 11.07.2007 को दहेज की मांग को लेकर पत्नी कुमारी उर्फ गुड्डी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारितयों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रोबेशन बोर्ड द्वारा प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी इन्द्रजीत पुत्र श्री कारे सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रश्नगत याची/बंदी द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन क्रि0 संख्या-36/2022 राजकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 निम्नवत है:-

" 1 An affidavit has been filed by the Superintendent of Jail, District Jail, Ghaziabad, inter alia, stating that:

"The Government of Uttar Pradesh on 16.12.2021 has decided that the prisoners convicted and undergoing sentence for life imprisonment who were earlier eligible for consideration under the unamended premature release jail policy dated 01.8.2018, will still be considered for eligibility for premature release as per their eligibility before introduction of policy dated 28.07.2021.

Mr Nagendra Singh, counsel appearing on behalf of the petitioners, states that the above clarification would resolve the grievance of the petitioners and their representations may now be directed to be considered by the competent authority expeditiously.

3 Ms Preetika Dwivedi, counsel appearing on behalf of the respondents, states that if the petitioners submit fresh representations, the representations shall be considered within a period of three months.

3 We accordingly permit the petitioners to submit representations for their release.The representations shall be considered and disposed of in terms of the statement which has been made in the counter affidavit expeditiously and orders communicated in any event within a period of three months of the date of receipt of a certified copy of this order by the competent authority.

4 The petition is accordingly disposed of in the above terms.

5 Pending application, if any, stands disposed of.

4- अत: मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन क्रि0 संख्या-36/2022 राजकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 के समादर में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत (बन्दी संख्या-587/2010) पुत्र श्री कारे सिंह, निवासी जनपद-मथुरा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-69/2022/1350(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-69/2022/1350/22-2-2022-17(395)/2022

दिनांक 02 जून, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत पुत्र श्री कारे सिंह, ग्राम बाघई कटैलिया, थाना-नौहझील, जनपद-मथुरा का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 11.07.2007 को कुमारी उर्फ गुड्डी की नृशस हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-548/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-6, मथुरा के आदेश दिनांक 30.10.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। बन्दी द्वारा दिनांक 16.03.2022 तक 14 वर्ष 08 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 08 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 30.09.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।**

बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 11.07.2007 को दहेज की मांग को लेकर पत्नी कुमारी उर्फ गुड्डी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारितयों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रोबेशन बोर्ड द्वारा प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी इन्द्रजीत पुत्र श्री कारे सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in